08-06-2026

एम.जे.सी.आर. / 152 / 2026
श्याम पिता रमन बनाम म.प्र. शासन

पी0ओ0 महोदय ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है। प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आवेदक श्याम सहित श्री राकेश कुमार पाण्डेय अधि0 उप0।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

थाना प्रभारी, थाना सिरमौर से अपराध क्रमांक 77/2026 अंतर्गत धारा 106(1) बी.एन.एस. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर प्रकरण में जप्तशुदा बोलेरो वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यू0पी0–78–एच0जेड0–0729 है, आवेदक को सुपुर्दनामा पर दिये जाने का निवेदन किया है। आवेदक के जप्तशुदा वाहन से किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस थाना सिरमौर द्वारा उसे बिना किसी अपराध के जप्त कर लिया गया है, आवेदक का उक्त वाहन खुले आसमान के नीचे खड़े मे रहने से उसके कलपुर्जे खराब हो रहे है। वाहन असुरक्षित स्थान मे खड़ा है, उक्त वाहन सुपुर्दगी में प्राप्त करने पर आवेदक उक्त वाहन के आकार, कलर एवं स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपने व्यय पर उपस्थित करेगा। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तें मानने को तैयार है। अत : उसे जप्तशुदा वाहन सपुर्दनामे पर दिए जाने का निवेदन किया है।

ए.डी.पी.ओ. द्वारा आवेदन का मौखिक रूप से विरोध किया गया ।

थाना प्रभारी, थाना सिरमौर द्वारा केस डायरी के साथ प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त वाहन को आवेदक को सुपुर्दगी में नहीं दिये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा जप्ती पत्रक अनुसार बोलेरो वाहन क्रमांक यू0पी0–78–एच0जेड0–0729 इंजन नंबर TVR6J16166, चेचिस नंबर MA1XK2TVXR5J27514 को जप्त किया गया है।

आवेदक द्वारा वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आवेदक/सुपुर्ददार श्याम पिता रमन के नाम पर होना दर्शित है जिसके अवलोकन से आवेदक उक्त वाहन का स्वामी दर्शित होता है तथा उक्त वाहन घटना दिनांक को बीमित रहा है।

वाहन पुलिस थाना सिरमौर में रखा है, जिससे उसकी

उपयोगिता खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक **श्याम पिता रमन** द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है। आवेदक **श्याम पिता रमन** को आदेशित किया जाता है कि वह 1500000/—रूपये (अंकन पन्द्रह लाख रूपये मात्र) का निम्न शर्तों के अधीन सुपुर्दनामा प्रस्तुत करे तो प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेज आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे—

<u>शर्तः—</u>

1. आवेदक उक्त वाहन को प्रकरण के निराकरण तक विक्रय या अन्य माध्यम से अंतरित नहीं करेगा।
2. उक्त वाहन न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुलाये जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
3. आवेदक वाहन के मूल स्वरूप में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं करेगा।
4. न्यायालय व थाने द्वारा नोटिस दिये जाने पर वाहन मय स्वामी के नोटिस तामीली के दस दिवस के अन्दर उपस्थित रहेगें।

सही/—
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः

उपरोक्त आदेश के पालन में आवेदक/सुपुर्ददार श्याम पिता रमन निवासी 76/22 कूली बाजार कानपुर, कानपुर नगर उ0प्र0 द्वारा **1500000/—रूपये (अंकन पन्द्रह लाख रूपये मात्र)** स्वीकार किया गया। सुपुर्ददार की पहचान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा की गई।

वाहन का मय दस्तावेज रिहाई आदेश जारी किया जावे।

इसी स्तर पर थाना प्रभारी, थाना सिरमौर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन सुपुर्दगी पर देने से पूर्व उसकी चारों ओर से स्पष्ट फोटोग्राफ लेकर एवं दस्तावेजों की छायाप्रति लेकर पावती सहित फोटोग्राफ अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

केस डायरी वापिस की जावे।

पत्रावली अभिलेखागार में जमा की जावे।

सही/—
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिरमौर जिला रीवा म.प्र

.